

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ 7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2021-22/पार्ट 290

दिनांक: 13 सितम्बर, 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(विधि एवं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट को छोड़कर)
राजस्थान।

विषय :- स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष में प्रवेश आवेदन पत्र कम प्राप्त होने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयुक्तालय के पत्र क्रमांक एफ.7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2021-22/पार्ट/285 दिनांक 07.09.2021 के द्वारा स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के संशोधित प्रवेश कार्यक्रम का सभी माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था। अभी भी जिन महाविद्यालयों में आवंटित सीटों से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उनको निर्देशित किया जाता है कि विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार कर वंचित छात्रों से आवेदन भरवाना सुनिश्चित करें।

प्रवेश आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि में कोई बढोतरी नहीं की जायेगी।



(संदेश नायक, IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।



(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)